



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श10)
(सं0 पटना 693) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

17 अगस्त 2021

सं० 3/एच०-02/2020-9006/सा०प्र०—खानकाह मुजीबिया से प्राप्त सूचना के आलोक में चौद दिखाई देने के अनुसार राज्य में मोहर्रम अब दिनांक 20.08.2021 (शुक्रवार) को मनाया जायेगा। अतः सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-03/एच०-02/2020सा०प्र०-12008 दिनांक 16.12.2020 द्वारा राज्य में मोहर्रम के लिए एन0आई0 एक्ट के तहत दिनांक 19.08.2021 (गुरुवार) को घोषित अवकाश के स्थान पर अब दिनांक 20.08.2021 (शुक्रवार) को एन0आई0 एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। साथ ही मोहर्रम के लिए दिनांक 20.08.2021 (शुक्रवार) को घोषित प्रतिबंधित अवकाश के स्थान पर दिनांक 21.08.2021 (शनिवार) को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-03/एच०-02/2020सा०प्र०-12008 दिनांक 16.12.2020 की एन0आई0 एक्ट के तहत अवकाश से संबंधित अनुसूची-3 का क्रमांक-12 एवं प्रतिबंधित अवकाश से संबंधित अनुसूची-2 का क्रमांक-10 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 693-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>